

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-17/एल 1-24/2023-

/पटना, दिनांक :- / /2025

डा० अनुपमा सिन्हा, तत्कालीन सह-प्राध्यापक सम्प्रति प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के द्वारा दिनांक-07.10.2023 से 16.10.2023 तक की अवधि में की गयी विदेश (फ्रांस) यात्रा के लिये घटनोत्तर स्वीकृति/अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में बिना विभागीय अनुमति के विदेश यात्रा के लिये प्रस्थान नहीं करेंगी।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

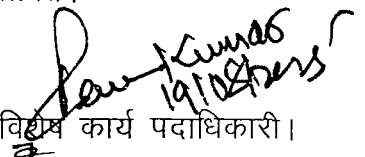
ज्ञापांक-17/एल 1-24/2023- 936/17) पटना, दिनांक :- 19/10/2025

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० अनुपमा सिन्हा, तत्कालीन सह-प्राध्यापक सम्प्रति प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।